दिनांक 21 फरवरी 2023 **स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**

अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने पर भिलाई निगम ने 8 स्थानों पर सील बंद करने की कार्रवाई की, नामचीन प्रतिष्ठान शामिल, होटल वत्स की बेसमेंट पर बनी 2 स्टोर रूम तथा पार्टी हॉल सहित कई दुकान व भवन भी हुआ सील

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास व निर्माण को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इन्हें नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भिलाई निगम कड़ी कार्रवाई कर रही है इस कार्रवाई में बड़े होटल एवं संस्थान, भवन और दुकान भी शामिल है। नेहरू नगर जोन अंतर्गत दो स्थानों पर, वैशाली नगर जोन अंतर्गत 4 स्थानों पर तथा शिवाजी नगर जोन अंतर्गत 2 स्थान पर नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान, संस्थान, भवन को सील बंद किया गया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए सर्वे करने , शिविर लगाने तथा नोटिस जारी कर नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। आज निगम प्रशासन की टीम होटल वत्स पहुंची यहां बेसमेंट में बने हुए 2 अलग-अलग स्टोर रूम को सील किया तथा नजदीक में बने वत्स के दूसरे होटल में निर्मित पार्टी हॉल , जिसमें विवाह एवं जन्मोत्सव से संबंधित कार्यक्रम होते थे इसे भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सील बंद कर दिया। वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 14 शांति नगर क्षेत्र में नियमितीकरण नहीं कराने वाले चार भवन को निगम ने सील कर दिया। इसी प्रकार से शिवाजी नगर जोन क्रमांक 4 क्षेत्र में सपना टॉकीज पावर हाउस के समीप की 2 दुकान को नियमितीकरण नहीं कराने पर सील किया गया। गौरतलब है कि भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण , मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है, इसके लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।